असंगठित छेत्र मे काम करने वाले 1800 श्रमिकों को मिलेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ

भिलाईनगर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष के आयु पश्चात् मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए भारत शासन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन की सुविधा प्रदान किया जाएगाद्य प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए दिनांक 2 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक नगर निगम भिलाई क्षेत्र के 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिकों का पंजीयन करने अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है असंगठित श्रमिक जैसे– फूटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलु श्रमिक, कचरा बिनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरधा, धोबी–चमड़े का काम करने वाले, अंतराजिए श्रमिक ओर इस तरह 125 व्यवसाय मे कार्यरत श्रमिकों जिनकी मासिक आय 15000 से कम हो योजना मे शामिल होंगेद्य 60 वर्ष पश्चात् प्रत्येक श्रमिक को 3000 रूपये न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह देय होगाद्य हितग्राही की मृत्यु पश्चात् नामिनी को 50 प्रतिशत पेंशन दिया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया जायेगाद्य प्रत्येक जोन कार्यालय को 360 श्रमिकों का पंजीयन हेतु लक्ष्य दिया गया हैद्य भिलाई शहर के श्रमिक अपनी इच्छा अनुसार इस योजना का लाभ ले सकते हैद्य योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए जोन कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय के पेंशन विभाग मे संपर्क कर सकते है।